भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 01
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में क्षेत्रीय हवाई संपर्क

*1. **श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
श्री जी. सेल्वम:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों को शामिल करने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों अथवा विकास के लिए चिह्नित विमानपत्तनों/हवाई पट्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं अथवा हवाई पर्यटन सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन या स्थल निरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(घ) ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन और उन्हें शुरू करने की संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) उक्त जिलों में पर्यटन, तीर्थयात्रा और स्थानीय रोजगार पर उड़ान कनेक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ) : ववरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"तमिलनाडु में क्षेत्रीय हवाई संपर्क" के संबंध में श्री सी. एन. अन्नादुरई और श्री जी. सेल्वम द्वारा पूछे गए दिनांक 29.01.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 1 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): उड़ान योजना के अंतर्गत, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों की सूची को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है और बोली के लिए योजना दस्तावेज में शामिल किया जाता है। उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन, वैध बोली प्रक्रिया के माध्यम से इनकी पहचान करने और एसएओ (चयनित एयरलाइन प्रचालक) को मार्ग अवॉर्ड किए जाने के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई और कांचीपुरम जिलों में स्थित कोई भी हवाईपट्टी, योजना के अंतर्गत असेवित हवाईपट्टियों की अनंतिम सूची में शामिल नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में कांचीपुरम जिले में परंदूर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा, यदि तमिलनाडु राज्य सरकार तिरुवन्नामलई जिले में हवाईपट्टियों की मौजूदगी की पुष्टि करती है और योजना दस्तावेज में इसे शामिल किए जाने का अनुरोध करती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

उड़ान योजना ने कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार करके, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देकर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करके, असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को सुदृढ़ किया है। इसके अलावा, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए देशभर के 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की है।
